संख्या-1248/एक-2-2026-1955561

प्रेषक,

अपर्णा यू0,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 17 जुलाई, 2026

विषयः- ग्राम पंचायतों के तालाबों/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय को गांव निधि (विलेज फंड) में अंतरित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, अनुभाग-5 लखनऊ के पत्र संख्या–जी-354/5-169/2024(आ0वि0व्य0), दिनांक 16.07.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 15.07.2026 को प्रदेश की ग्राम पंचायतों के तालाबों/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय को गांव निधि (विलेज फंड) में अंतरित कराये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार विमर्श किये जाने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त बैठक में पंचायतीराज विभाग के पत्र संख्या-आई/1038207/2025 दिनांक 25-07-2025 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया। पंचायतीराज विभाग द्वारा मुख्य रूप से तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय/राजस्व को गांव निधि (ओ०एस०आर०) में अन्तरित कराये जाने का अनुरोध किया गया था। साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा परिषद स्तर पर विकसित पोर्टल 'पट्टा आवंटन (तालाब)' का लॉगिन आई0डी0/पासवर्ड निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० को हस्तगत कराने का अनुरोध भी किया गया था।

3- अतः उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

i. भविष्य में तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय/राजस्व को तत्काल प्रभाव से गाँव निधि में अंतरित कराया जाए।

ii. वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 01-04-2026 से 15-07-2026 तक ग्राम पंचायतों के तालाबों/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय को विहित अनुपात में दिनांक 31.07.2026 तक गांव निधि बैंक खाते में अंतरित कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

iii. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (यथासंशोधित 2016) की लागू होने की तिथि (11 फरवरी, 2016) के पश्चात उक्त मद में प्राप्त हुई समस्त धनराशि का परिषदादेश संख्या-आर-370(2)/5-169/2024 (आ०वि०व्य0) दिनांक 22-08-2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सम्बन्धित जनपद के नामित नोडल अधिकारी/अपर जिलाधिकारी

(वि०/रा०) द्वारा राजस्व परिषद की वेबसाइट पर 'पट्टा आवंटन (तालाब)' पोर्टल पर दर्ज समस्त प्रविष्टियों यथा-पट्टों का विवरण, नीलामी/भाटक की धनराशि, भाटक जमा करने/बकाया की स्थिति, आवंटित रकबा आदि का सत्यापन कराकर वर्ष 2016 से तालाबों/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली समस्त धनराशि आय को दिनांक 01.08.2026 से 31.08.2026 तक गांव निधि बैंक खाते में हस्तांतरित कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

iv. नोडल अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि उपर्युक्त बिन्दु (i), (ii), (iii) के अनुपालन में दिनांक 11.02.2016 से कोई कार्यवाही लंबित/अवशेष नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी लॉगिन के माध्यम से कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र राजस्व परिषद के सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

Aparna. U.

(अपर्णा यू0)

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

12-48 /17-7-2026

मा० अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे 'ग्राम पंचायत में तालाबों/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय के संबंध में' सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 15.07.2026 को प्रदेश की ग्राम पंचायतों के तालाबों/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय को गांव निधि (विलेज फंड) में अंतरित कराये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार विमर्श किये जाने हेतु मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1- श्री अनिल कुमार (तृतीय), प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- श्रीमती अपर्णा यू0, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- श्रीमती कंचन वर्मा, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- श्री अमित कुमार सिंह, निदेशक पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- श्री संजय कुमार यादव, मा0सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- श्री रमेश रंजन, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- श्री सूरज कुमार यादव, विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- उक्त बैठक में शासन के राजस्व अनुभाग-2 के पत्र संख्या-आई/ 10463387/2025 दिनांक 04-08-2025 के माध्यम से राजस्व परिषद को प्राप्त पंचायतीराज विभाग के पत्र संख्या-आई/1038207/2025 दिनांक 25-07-2025 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया। पंचायतीराज विभाग द्वारा मुख्य रूप से तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय/राजस्व को गांव निधि (ओ0एस0आर0) में अन्तरित कराये जाने का अनुरोध किया गया था। साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा परिषद स्तर पर विकसित पोर्टल 'पट्टा आवंटन (तालाब)' का लॉगिन आई0डी0/पासवर्ड निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को हस्तगत कराने का अनुरोध भी किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया है-

i. प्रश्नगत प्रकरण में पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 25 जुलाई 2025 एवं तत्क्रम में शासन के पत्र दिनांक 04.08.2025 के परिप्रेक्ष्य में परिषद पत्र संख्या-जी-467/5-169/2024 (आ0वि0व्य0) दिनांक 14-11-2025 द्वारा शासन के राजस्व अनुभाग-2 को प्रेषित की गयी आख्या/सुझाव को वापस लिया जाता है।

(कार्यवाहीः परिषद अनुभाग-5)

ii. भविष्य में तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय/राजस्व को तत्काल प्रभाव से गाँव निधि में अंतरित कराया जाए।

Kanchan

-2-

श्री सुभाष जी
17/7/2026

(कार्यवाही:समस्त जिलाधिकारी/ परिषद अनुभाग-5)

iii. वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 01-04-2026 से 15-07-2026 तक ग्राम पंचायतों के तालाबों/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय को विहित अनुपात में दिनांक 31.07.2026 तक गांव निधि बैंक खाते में अंतरित कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

(कार्यवाहीः समस्त जिलाधिकारी/पंचायती राज विभाग/ परिषद अनुभाग-5)

iv. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (यथासंशोधित 2016) की लागू होने की तिथि (11 फरवरी, 2016) के पश्चात उक्त मद में प्राप्त हुई समस्त धनराशि का परिषदादेश संख्या-आर-370(2)/5-169/2024 (आ0वि0व्य0) दिनांक 22-08-2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सम्बन्धित जनपद के नामित नोडल अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा राजस्व परिषद की वेबसाइट पर 'पट्टा आवंटन(तालाब)' पोर्टल पर दर्ज समस्त प्रविष्टियों यथा-पट्टों का विवरण, नीलामी/भाटक की धनराशि, भाटक जमा करने/बकाया की स्थिति, आवंटित रकवा आदि का सत्यापन कराकर वर्ष 2016 से तालाबों/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली समस्त धनराशि/आय को दिनांक 01.08.2026 से 31.08.2026 तक गांव निधि बैंक खाते में हस्तांतरित कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(कार्यवाही:समस्त जिलाधिकारी/ परिषद अनुभाग-5)

v. नोडल अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि उपर्युक्त बिन्दु (ii), (iii), (iv) के अनुपालन में दिनांक 11.02.2016 से कोई कार्यवाही लंबित/अवशेष नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी लॉगिन के माध्यम से कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र राजस्व परिषद के सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।

(कार्यवाही:समस्त जिलाधिकारी/ परिषद अनुभाग-5)

vi. प्रश्नगत विषय में अवशेष बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु 02 सितम्बर, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में पुनः बैठक आहूत की जायेगी।

(कार्यवाही:पंचायती राज विभाग/राजस्व विभाग/परिषद अनुभाग-5)

उक्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Kanchan

(कंचन वर्मा)
आयुक्त एवं सचिव।

O/C

16/07/26

16/7/2026

कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-5 लखनऊ।

संख्या-ज्ञी-359/5-169/2024(आ0वि0व्य0), दिनांक- 16.07.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0अध्यक्ष राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को मा0 अध्यक्ष महोदया के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

3- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Kanhaiya

(रमेश रंजन)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव।

ई–मेल/फैक्स/समयबद्ध

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः आर–3702/5–169/2024(आ0वि0व्य0) दिनांक 22/8/2025

विषयः– ग्राम पंचायत के प्रबंधाधीन तालाब/पोखरों के मत्स्य पालन हेतु वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक की अवधि के पट्टों की त्रुटिरहित प्रविष्टि एवं धनराशि का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराकर ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत है कि ग्राम सभा के मत्स्य पालन आवंटन/पट्टे में की गयी संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही तथा उसमें प्राप्त/जमा धनराशि का ऑनलाइन विवरण दर्ज करने के लिये राजस्व परिषद के वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर **"पट्टा आबंटन(तालाब)"** के नाम से पोर्टल का विकास किया गया है, जिसमें उक्त सूचना/विवरण दर्ज करने के लिये परिषदादेश–आर–717/5–09डी/2024,दिनांक–07.01.2025 द्वारा एस0ओ0पी0 संलग्न कर प्रेषित करते हुये विस्तृत निर्देश दिये जा चुके है।

2– उक्त पोर्टल पर दिनांक–20.07.2025 तक दर्ज सूचना/विवरण की समीक्षा करने पर यह संज्ञानित हुआ कि अधिकांश जनपदों द्वारा ग्राम सभा के मत्स्य पालन आवंटन/पट्टे के सापेक्ष पोर्टल पर अत्यधिक कम प्रविष्टियां दर्ज की गई है। इस संबंध में सुसंगत पोर्टल(**पट्टा आवंटन(तालाब)**) पर त्रुटिरहित प्रविष्टियां एवं विवरण दर्ज करने का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाये। पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश परिषद पत्रांक–**आर–370(1)/5–169/2024(आ0वि0व्य0),दिनांक–09.07.2025** द्वारा पूर्व में ही दिये जा चुके हैं।

3– उक्त प्रविष्टियों के संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश परिषद पत्र दिनांक–**28.05.2025**, द्वारा दिये जा चुके हैं। इस संबंध में **"पट्टा आवंटन(तालाब)"** पोर्टल पर 2014–24 तक के ग्राम सभा के मत्स्य पालन आवंटन/पट्टे में की गयी संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही तथा उसमें प्राप्त/जमा धनराशि का ऑनलाइन विवरण दर्ज कर समस्त जनपद त्रुटिरहित प्रविष्टियों का **प्रमाण पत्र ऑनलाइन(संबंधित एस.ओ.पी. संलग्न) उपलब्ध करायेंगे।** ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया निम्न दो चरणों में पूर्ण होगी–

(i) **तहसील स्तर पर–** प्रत्येक जनपद के अंतर्गत समस्त तहसीलों में अवशेष प्रविष्टियों का विवरण(कारण एवं अन्य विवरण) एस.ओ.पी. में प्रदत्त निर्देशानुसार उपजिलाधिकारी लॉगिन से भरा जायेगा।

(ii) **जनपद स्तर पर–** जनपद के अंतर्गत आने वाली समस्त तहसीलों से अवशेष प्रविष्टियों का विवरण दर्ज कराने के उपरांत एस.ओ.पी. में प्रदत्त निर्देशानुसार जिलाधिकारी लॉगिन से वांछित विवरण दर्ज करके ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने के प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।

4– उक्त पोर्टल पर **ऑनलाइन प्रमाण पत्र कितनी भी बार बनाया जा सकता है परंतु अपलोड एक ही बार किया जा सकता है। यदि जनपद द्वारा प्रमाण पत्र बनाकर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया, तत्पश्चात जनपदों द्वारा न तो कोई सूचना/विवरण भरा जा सकता है, न ही जनपद की तरफ से कोई संशोधन किया जा सकता है।**

5— यह भी अवगत कराना है कि उक्त पोर्टल पर उक्त अवधि में मत्स्य पालन आवंटन से प्राप्त धनराशि को जिन खातों में अंतरित किया गया है, का विवरण भी दर्ज है। भविष्य में जब धनराशि को प्राविधानित खातों अथवा एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित किया जाना होगा। उक्त प्रक्रिया के लिये प्रत्येक जनपद के अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को नोडल नामित किया गया है एवं पोर्टल पर दर्ज धनराशि अथवा अन्य आंकड़ों में संशोधन हेतु पोर्टल पर प्रत्येक जनपद के ए0डी0एम0 लॉगिन को प्राधिकृत किया गया है।

6— उपर्युक्त से विदित होता है, यदि जनपद स्तर से त्रुटिरहित प्रविष्टियों के प्रमाण पत्र अपलोड कर दिये गये (जो कि जिलाधिकारी लॉगिन से अपलोड होंगे) तो अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) के लॉगिन से उक्त संशोधन नहीं हो पायेंगे एवं कोई अवशेष प्रविष्टि/लोप/सुधार जनपद स्तर से पोर्टल पर नहीं हो पायेंगे।

7— अतः एस0ओ0पी0(ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने एवं अपलोड करने की प्रक्रिया) संलग्न कर प्रेषित कर समस्त जनपदों के पट्टा आवंटन(तालाव) पोर्टल पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र जनरेट कर लिये जायें परंतु जब तक संपूर्ण अवशेष प्रविष्टियां शून्य न हो जायें तब तक अपलोड न किया जाये क्योंकि यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है अर्थात् एक बार प्रमाण पत्र अपलोड होने के बाद पोर्टल पर जनपद द्वारा न तो इसे संशोधित किया जा सकता है और न ही दुबारा अपलोड किया जा सकता है।

8— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ग्राम पंचायतों के प्रबंधाधीन तालाबों के मत्स्य पालन आवंटन/पट्टे से वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक की अवधि में की गयी संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही तथा उसमें प्राप्त/जमा धनराशि के सम्बन्ध में राजस्व परिषद के वेबसाइट पर **"पट्टा आबंटन(तालाब)"** विकसित पोर्टल में अभी तक दर्ज किये गये ऑनलाइन विवरण की समीक्षा कर लें, कि दर्ज विवरण सही है अथवा नही। साथ ही अपने-अपने जनपद के अवशेष विवरण को उक्त पोर्टल में प्रत्येक दशा में 31.08.2025 तक दर्ज कराते हुये सही एवं त्रुटिरहित सूचना का प्रमाणपत्र**(ऑनलाइन जनरेटेड छायाप्रति)** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

22.08.25

(सूरज कुमार यादव)
प्रभारी अधिकारी
कृते आयुक्त एवं सचिव।